

NOTIFICATION

New Delhi, the 19th October, 2023

No. 18/2023-Integrated Tax (Rate)

G.S.R. 769(E).—In exercise of the powers conferred by clause (xiii) of section 20 of the Integrated Goods and Services Tax Act, 2017 (13 of 2017) read with sub-section (3) of section 54 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the Central Government, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, on the recommendations of the Council, hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 12/2017-Integrated Tax (Rate), dated the 28th June, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R. 687(E), dated the 28th June, 2017, namely:-

In the said notification, in opening paragraph, for the words, brackets, letters and figures “specified in sub-item (b) of item 5 of Schedule II of the Central Goods and Services Tax Act”, the words, “of construction of a complex, building or a part thereof, intended for sale to a buyer, wholly or partly, where the amount charged from the recipient of service includes the value of land or undivided share of land, as the case may be, except where the entire consideration has been received after issuance of completion certificate, where required, by the competent authority or after its first occupation, whichever is earlier”, shall be substituted.

2. This notification shall come into force with effect from the 20th October, 2023.

[F.No. CBIC-190354/195/2023-TO (TRU-II)-CBEC]

RAJEEV RANJAN, Under Secy.

Note:- The principal notification no. 12/2017-Integrated Tax (Rate), dated the 28th June, 2017 was published in the Gazette of India, Extraordinary, vide number G.S.R. 687(E), dated the 28th June, 2017.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 अक्टूबर, 2023

सं. 15/2023- संघ राज्य कर (दर)

सा.का.नि. 770(अ).—केंद्रीय वस्तु और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 14) की धारा 21 के खंड (xiv) के साथ पठित, केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम 2017, (2017 का 12), की धारा 54 की उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार इस बात से संतुष्ट होने पर कि सार्वजनिक हित में ऐसा करना आवश्यक है और परिषद की सिफारिशों के आधार पर, एतद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 15/2017- संघ राज्य कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017, जिसे सा.का.नि. 706 (अ), दिनांक 28 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, में निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा:-

उक्त अधिसूचना में, शुरुआती पैराग्राफ में, शब्दों, कोष्ठक, अक्षरों और अंकों के लिए “केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम की अनुसूची 2 की मद 5 के उप-मद (ख) में निर्दिष्ट” है शब्द, “एक परिसर, भवन या उसके एक हिस्से का निर्माण, जो खरीदार को पूरी तरह या आंशिक रूप से बिक्री के लिए है, जहां सेवा के प्राप्तकर्ता से ली गई राशि में भूमि का मूल्य या भूमि का अविभाजित हिस्सा शामिल है, जैसा भी मामला हो हो सकता है, सिवाय इसके कि संपूर्ण प्रतिफल पूर्णता प्रमाण पत्र जारी होने के बाद, जहां आवश्यक हो, सक्षम प्राधिकारी द्वारा या उसके पहले कब्जे के बाद, जो भी पहले हो, प्राप्त हो गया हो”, प्रतिस्थापित किया जाएगा।

2. यह अधिसूचना 20 अक्टूबर, 2023 से लागू होगी।

[फा. सं. सीबीआईसी-190354/195/2023-टीओ (टीआरयू-II)-सीबीईसी]

राजीव रंजन, अवर सचिव

नोट:- मुख्य अधिसूचना क्रमांक. 15/2017- संघ राज्य कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017 को भारत के राजपत्र, असाधारण, संख्या जी.एस.आर. 706(अ), दिनांक 28 जून, 2017. में प्रकाशित किया गया था।